

ज़िलों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अब होगी अलग-अलग

चर्चा में क्यों?

- 31 अगस्त, 2023 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के ज़िलों में अब कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण और समीक्षा अलग-अलग स्तर पर होगी। मुख्य सचिवि दुरगाशंकर मशिर ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के लिये दशा-नरिदेश जारी किये हैं।

प्रमुख बडि

- जानकारी के अनुसार सरकारी वभिगों के विकास कार्य और कानून व्यवस्था में वभिनिन स्तर के अधिकारियों की समीक्षा सीएम डैश बोर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को चहिनति कर उनके कार्य में सुधार कराया जाएगा।
- शासन के आदेश के बाद 68 ज़िलों में ज़िलाधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वही पुलसि आयुक्त प्रणाली वाले लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में पुलसि आयुक्त कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
- मंडल स्तर पर कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा अब अलग-अलग होगी। ज़िलास्तरीय समीक्षा बैठक के एक सप्ताह की अवधि में मंडलस्तरीय बैठक का आयोजन करना होगा।
 - मंडल स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होगी। जनि मंडल मुख्यालयों पर पुलसि आयुक्त प्रणाली लागू नहीं हैं, वहाँ पर कानून व्यवस्था की बैठक भी मंडलायुक्त की अध्यक्षता में ही होगी। बैठक में पुलसि महानरििक्षक, उप महानरििक्षक एवं मंडल में स्थति ज़िलों के पुलसि कप्तान मौजूद रहेंगे।
 - राजस्व और विकास कार्य के लिये मंडल में अपर आयुक्त को नोडल अधिकारी नयुक्त कथिा गया है। कानून व्यवस्था के लिये मंडल में पुलसि उप महानरििक्षक को नोडल अधिकारी नयुक्त कथिा गया है।
- ज़िला स्तर पर विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग-अलग होगी। विकास कार्य की समीक्षा ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगी। हर महीने सीएम डैशबोर्ड की रैंकगि प्रकाशन के एक सप्ताह में बैठक का आयोजन करने के नरिदेश दयि गए हैं।
 - ज़िला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिये मुख्य विकास अधिकारी को सीएम डैशबोर्ड का नोडल अधिकारी नामति कथिा गया है। जनि ज़िलों में पुलसि आयुक्त प्रणाली लागू नहीं हैं, वहाँ पर कानून व्यवस्था की समीक्षा ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलसि लाइन में की जाएगी। बैठक में एसएसपी, एसपी, एडीएम प्रशासन, एसएसपी, डीएसपी, वरषिठ अभयिोजन अधिकारी सहति सभी थानाध्यक्ष मौजूद रहेंगे।
 - लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, सहति जनि ज़िलों में पुलसि आयुक्त प्रणाली लागू है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की समीक्षा प्रमुख सचवि गृह और पुलसि महानरििक्षक की ओर से भी हर महीने की जाएगी।
 - जनि ज़िलों में पुलसि आयुक्त प्रणाली लागू है, वहाँ कानून व्यवस्था की समीक्षा पुलसि आयुक्त करेंगे। बैठक में अपर पुलसि आयुक्त, संयुक्त पुलसि आयुक्त, पुलसि उप आयुक्त, सहायक पुलसि आयुक्त, वरषिठ अभयिोजन अधिकारी और सभी थानाध्यक्ष शामिल रहेंगे।
- सीएम डैशबोर्ड पर वभिनिन वभिगों की सेवाओं और योजनाओं के क्रयिानवयन के आधार पर हर महीने की 15 तारीख को रैंकगि जारी की जाएगी। रैंकगि में परफार्मेंस इंडेक्स, डाटा क्वालिटी इंडेक्स और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर हुए कामकाज को आधार बनाया जाएगा।
- भवषिय में वभिगों की ओर से सीएम डैशबोर्ड पर ज़िलास्तरीय अधिकारियों की रैंकगि के आधार पर मल्लै गुणांक का प्रयोग मेरटि बेस्ड ऑनलाइन स्थानांतरण में कथिा जाएगा।



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/development-and-law-order-in-the-districts-will-now-be-reviewed-separately>